प्र.सं. 14/2022 रावजी बनाम कोकिला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के एक मात्र स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 541/368 रकबा 0.1200 हैक्टर एवं 371 रकबा 0.3700 हैक्टर भूमि ग्राम कसुम्बरीया, तहसील आनन्दपुरी में स्थित है, जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन प्रवेश करते हैं तथा नींव खुदवा दी है तथा पत्थर भरवाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।	

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके द्वारा आराजी नंबर 371 व 541/368 पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा रहा है, न ही नींव खोदी है। वादी जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण 3 तनकियां कायम की एवं अपने निर्णय दिनांक 04.07.2022 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.08.2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.07.2022 को दि[illegible]22 की पेशी नियत की तथा साक्ष्य बन्द करने का उल्लेख [illegible] पर लिया तथा दिनांक 27.06.2022 [illegible] प्रकरण में बहस सुनी दर्शाकर दिनांक 04.07.20[illegible] को वादी/अपीलान्टद की अनुपस्थिति में बिना उन्हें सुने प्रकरण में एकपक्षीय निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:28 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

कर दिया, जबकि वादी द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वाद को साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 3 तनकियां कायम की, किन्तु बिना साक्ष्यों का विवेचन किये सरसरी तौर पर तनकियों का विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 18/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार तनकियों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.06.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर